बिहार सरकार <u>मंत्रिमंडल</u> सचिवालय विभाग

🗝 अधिसूचना ::--

पटना–15, दिनांक–

20/11

2018

संख्या — मं0मं0—01 / मंत्रिपरिषद—36 / 2012 / <u>1093</u> / भारत संविधान के अनुच्छेद—166 के खंड (3), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :-

–ः <u>संशोधन</u> ::–

बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय—समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग (घ) विधिक मामले में शक्तियों का प्रत्यायोजन की कंडिका (3) के बाद निम्नलिखित कंडिका (4) जोड़ी जाएगी:-

"4. ऐसे मार्मलों का अनुपालन जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से न्यायादेश पारित किये गये हों एवं उनके विरूद्ध कोई अपील/ पुनर्विचार याचिका दायर करना संगव नहीं हो;

वित्त विमाग/सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विमाग की सहमित के पश्चात् मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष, प्रशासी विमाग मामले को प्रस्तुत करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए प्रशासी विमाग, प्रमारी मंत्री का आदेश प्राप्त कर, कार्यान्वयन आदेश ससमय निर्गत करना सुनिश्चित करेगा। समिति का गठन निम्नवत होगा :--

- i) मुख्य सचिव अध्यक्ष
- ii) प्रधान सिवव / सिवव, सामान्य प्रशासन दिमाग सदस्य
- iii) प्रघान सचिव/सचिव, वित्त विमाग सदस्य
- iv) प्रधान सचिव / सचिव, विधि विमाग सदस्य
- v) संबंधित प्रशासी विमाग के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य"

इस समिति का नोडल विभाग विधि विभाग होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

्रि 20|4|20|8 (संजय कुमार) सरकार के प्रधान सचिव

कृ०पृ०उ०.....

> िक्ष कुमार) (संज्य कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव ज्ञापांक — मं0मं0—01 / मंत्रिपरिषद—36 / 2012 / 1093 / दिनांक—20 / 2018 प्रतिलिपि — अंपर सचिव, (ई० गजट शाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना (हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित) / अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

श्रिश्वाप्य १८० । १८० (संजय कुमार) सरकार के प्रधान सचिव

Government of Bihar Cabinet Secretariat Department

-:: Notification ::-

Patna,15 Dated-20.11.2018

Memo No:- MM-01/Mantriparishad-36/2012/1093/ In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following amendment in the Rules of Executive Business, of Bihar, 1979 (as amended from time to time) with immediate effect :-

-:: Amendment ::-

After Serial No-(3) of part (D) of fourth Schedule in the Rules of Executive Business, Bihar, 1979 (as amended from time to time) Delegation of Power in legal matters a new serial no 4 shall be added :-

"4. Compliance of such matters in which final adjudications have passed by Hon'ble Supreme Court/ High Court and if not possible to file Appeal/Review petition against them.

After taking consent of Finance Department, General Administration Department and Law Department the Administrative Department will place the matter before the committee Constituted under the Chairmanship of Chief Secretary. In view of the recommendation of the Committee, the Administrative Department will ensure to issue implementing order in time after taking approval of Minister in Charge.

The constitution of the Committee will be as follows :-

- i) Chief Secretary Chairman
- Principal Secretary/Secretary, General Administration Department - Member
- iii) Principal Secretary/Secretary, Finance Department
- Member
- iv) Principal Secretary/Secretary, Law Department -Member
- Secretary/Secretary Concerned Administrative Department- Member"

Law Department will be the Nodal Department for this Committee.

By order of the Governor of Bihar



(Sanjay Kumar)

Principal Secreatry to the Government

P.T.O....